Original Research Paper

Volume - 7 | Issue - 5 | May - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 4.894 | IC Value : 79.96

Commerce

# मनरेगा रोजगारोन्मुखी योजना का मूल्यात्मक अध्ययन (राजनांदगांव जिले के विशेश संदर्भ में)

**डॉ. जी.डी.एस.बग्गा** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चंदुलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

**आकाश वैशणव** शोधार्थी जयस्तभ चौक, वार्ड न. 25, राजनांदगॉव छ.ग. पिन कोड 491441

**ABSTRACT** 6 लाख से अधिक गॉव के देश भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या गॉव में निवासरत है। मनरेगा गॉव के लोगों को अपने ही गॉव या 5 किमी. की परीधि में रोजगार देने की सबसे बड़ी पहल वाली योजना है। मनरेगा का मूलभूत उदेश्य अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित ग्रामीणो को रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत के ग्रामीण गरीबी उन्मुलन में व बेरोजगारी कम करने में एक हथियार बन रही है। यह भारत के ग्रामीण जनसंख्या की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बदलने में रीढ की हड्डी का कार्य कर रही है।

इस योजना के प्रारंभ के पश्चात् प्रत्येक गॉव में पलायन में आई कमी को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। मनरेगा भारत की सबसे वृहत और विश्वनीय योजना है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रो की मूलभूत समस्या बेरोजगारी, गरीबी और पलायन का निश्चित ही समाधान करेगी। इस योजना को और बढावा देने के लिए हाल ही में पेश किये गये केन्द्र के बजट में इसकी राशि 2018 के लिए बढ़ाकर 48000 करोड़ कर दी गई है जबकि 2016–17 में इसके लिए 38500 करोड़ रूपये रखे गये थे।

**KEYWORDS :** जाब कार्ड, परिवार, रोजगार, मनरेगा

### 1. मनरेगाः एक दृष्टि में:–

भारत प्रारंभ से ही गाँवों का देश कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की ग्रामीण जनता अर्थात हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों मे निवास करती है। सामान्यतः ग्रामीण जनता कृषि कार्य के द्वारा अपना जीवन–यापन करती है। अन्य ग्रामीण लोग रोजी–मज़दूरी करके अपना पेट भरते है। ग्रामीण किसान हम सभी के लिए अन्न उगाते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए अन्नदाता के समान हैं, परन्तु प्रायः यह देखा जाता रहा है कि हमारे लिए अन्नदाता के समान कहे जाने वाले अधिकतर ग्रामीण किसान एवं अन्य ग्रामीण लोग अनपढ़ एवं अशिक्षित होने के कारण शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का शिकार होते रहें हैं। कभी उन्हे उचित पारिश्रमिक नही मिला। समय बीतने के साथ–साथ उनकी दशा दयनीय होती चली गयी। उनका जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता चला गया अतः उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सन् 2005 मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 का उदय हुआ, जिसे आज हम **मनरेगा** के नाम से जानते हैं।

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 हैं। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 देश का पहला अधिनियम है जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियो को गाँव मे ही रोज़गार उपलब्ध करता है। फरवरी 2006 मे लागू इस अधिनियम के तहत् ग्रामीण क्षेत्रो के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का शारीरिक श्रम युक्त रोज़गार पाने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जहॉं इस योजना के अतंर्गत 150 दिन का श्रम युक्त रोजगार दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2009) के अवसर पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा जाए। अब नरेगा **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम'** के नाम से जाना जाने लगा। अकुशल शारीरिक श्रम से कोई कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क पुरूष या महिला किसी कौशल या प्रशिक्षण के बिना भी करने मे समर्थ हो। मनरेगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर बल देता है जो काम के अधिकार को व्यापक स्तर पर चरितार्थ करता है।

मनरेगा

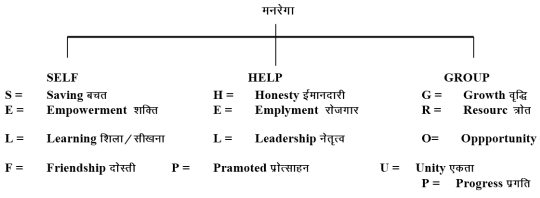

**SELF**
- S = Saving बचत
- E = Empowerment शक्ति
- L = Learning शिला/सीखना
- F = Friendship दोस्ती

**HELP**
- H = Honesty ईमानदारी
- E = Emplyment रोजगार
- L = Leadership नेतृत्व
- P = Pramoted प्रोत्साहन

**GROUP**
- G = Growth वृद्धि
- R = Resourc त्रोत
- O= Oppportunity अवसर
- U = Unity एकता
- P = Progress प्रगति

**3. राजनांदगॉव जिला** :– 26 जनवरी सन् 1973 को दुर्ग जिले के विभाजन के बाद राजनांदगॉव जिला अस्तित्व मे आया। राजनांदगॉव क्षेत्र सोमवंशियो, कल्चुरियों एवं मराठा शासको द्वारा शासित था। राजनांदगॉव का प्रारंभिक नाम नंदग्राम था। राजनांदगॉव नगर के महल एवं भवन यहाँ के शासको के शासन, यहाँ के समाज, संस्कृति एवं उस समय की शानदार परम्परा की कहानी का वर्णन करते है, साहित्य के क्षेत्र में श्री गजानंदन माधव मुक्तिबोध, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी एवं श्री बल्देव प्रसाद मिश्र का योगदान विशिष्ट रहा है। कुछ वर्षो पश्चात 1 जुलाई सन् 1998 को कवर्धा जिला राजनांदगॉव से विभक्त हो गया। जिला राजनांदगांव 9 विकासखण्डों में विभक्त है– छुईखदान, खैरागढ़, डोगरगढ़, राजनांदगॉव, छुरिया, डोगरगॉव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर। राजनांदगॉव छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव दक्षिण–पूर्व मध्य रेल्वे मार्ग में स्थित है।

**राजनांदगांव जिले की जनसंख्या विवरण** :– भारत में जनसांख्यिकीय संख्या ज्ञात करने के लिए जनगणना को आधार माना गया है। जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्षो के अतंराल में संग्रहित की जाती है । राजनांदगांव जिले की जनसंख्या विवरण इस प्रकार है –

| जिलाः– राजनांदगांव | ग्रामीण जनसंख्या 2001 | ग्रामीण जनसंख्या 2011 | वृदि दर | भाहरी जनसंख्या 2001 | भाहरी जनसंख्या 2011 | वृदि दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छुईखदान | 121161 | 155851 | 28.63 | 18249 | 20371 | 11.62 |
| खैरागढ़ | 141168 | 169658 | 20.18 | 15157 | 22564 | 48.86 |
| डोगरगढ़ | 139695 | 170745 | 22.22 | 34441 | 37372 | 8.51 |
| राजनांदगॉव | 166244 | 200238 | 20.44 | 143770 | 163114 | 13.45 |
| छुरिया | 144505 | 173997 | 20.40 | 0 | 4509 | 0 |
| डोगरगॉव | 99174 | 120074 | 21 | 11517 | 14693 | 27.57 |
| अम्बागढ़ चौकी | 86370 | 98445 | 13.98 | 8513 | 9889 | 16.16 |
| मेहला | 76083 | 86994 | 14.34 | 0 | 0 | 0 |
| मानपुर | 77177 | 88619 | 14.82 | 0 | 0 | 0 |
| **योग** | **1051577** | **1264621** | **16.84** | **231647** | **272512** | **17.64** |

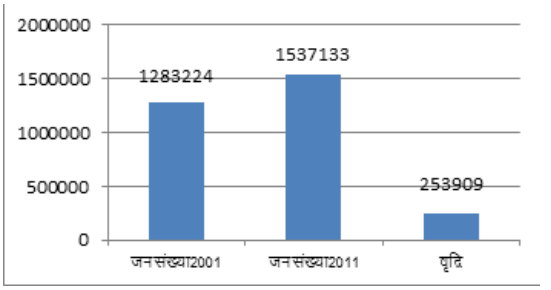

**राजनांदगॉव जिले की जनसंख्या वृद्वि ग्रामीण एवं नगरीय**




**4. शोध कार्य का उद्देश्य**:– बढ़ती जनसंख्या का सर्वाधिक नकारात्मक पहलु बढ़ती गरीबी है। सरकार की वृहद योजना मनरेगा जो पूरे भारत में कार्यरत है, जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन तथा असमानता जैसी मूलभूत समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारत के 6 लाख से अधिक गॉवों में न केवल वयस्क पुरूषो को अपितु महिलाओं तथा विकलांगो को भी रोजगार के अवसर निरंतर उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे गॉव से शहर की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश दिखाई देता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजना के कार्य का मूल्यात्मक अध्ययन है जिसके द्वारा इस योजना से प्रतिवर्श प्राप्त रोजगार का अध्ययन किया जा सके तथा योजना में आने वाली असुविधा या समस्या के समाधान हेतु प्रभावपूर्ण सुझाव दिये जा सके ।

**5. शोध परिकल्पनाः**– यह शोध इस परिकल्पना पर आधारित है कि भारत में कार्यरत मनरेगा योजना से ग्रामीण को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगें तथा उनकी बेरोजगारी व पलायन में कमी आयेगी इसके साथ ही मनरेगा के कार्यो से ग्राम मे निर्माण की गई सम्पति ग्राम के विकास में उपयोग आयेगी जिससे ग्राम में मूलभूत सुविधाएॅ उपलब्ध हो और वो विकास की ओर अग्रसर होते रहे।

**6. शोध प्रविधि** :– कोई भी शोध बिना संमको के करना संभव नहीं है। शोधकर्ता द्वारा इस शोध में तथ्यो की सत्यतता को ध्यान में रखकर तथा संमको की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक संमको का समावेश इस शोध–पत्र में किया है।

### 7. राजनांदगॉव जिले में मनरेगा की स्थितिः–

शोधकर्ता द्वारा राजनांदगांव जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत जाब कार्ड तथा जाबकार्डधारीयो द्वारा मांग किये गये रोजगार और उन्हे प्रदान किये गये रोजगारो का मूल्यात्मक अध्ययन किया गया है यह आकड़े 2013 से 2016 तक के हैः–

**सारणी कमांक.1.1 राजनांदगॉव जिले के विकासखण्ड़ो में जाब कार्ड की स्थिती**

| कमांक | विकासखण्ड | अनुसुचित जाति | | | | | अनुसुचित जन–जाति | | | | | अन्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | योग | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | योग | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | योग |
| 1 | अम्बागढ चौकी | 1725 | 1588 | 1583 | 1385 | **6281** | 7067 | 6589 | 6600 | 5922 | **26178** | 17717 | 15385 | 15220 | 12134 | **60456** |
| 2 | खैरागढ | 3355 | 3628 | 3667 | 3101 | **13751** | 2597 | 2899 | 2919 | 2491 | **10906** | 34604 | 32935 | 32543 | 27280 | **127362** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | छुईखदान | 1998 | 2734 | 2698 | 2521 | **9951** | 5159 | 8144 | 8095 | 7290 | **28688** | 33803 | 27680 | 27112 | 23768 | **112363** |
| 4 | छुरिया | 1898 | 1899 | 1951 | 1574 | **7322** | 9053 | 9126 | 9245 | 8126 | **35550** | 29248 | 28024 | 28745 | 22148 | **108165** |
| 5 | डोगरगढ़ | 2345 | 2300 | 2347 | 1766 | **8758** | 8081 | 7962 | 7945 | 6262 | **30250** | 32998 | 32168 | 32369 | 22145 | **119680** |
| 6 | डोगरगॉव | 1201 | 1169 | 1220 | 1030 | **4620** | 2083 | 2065 | 2127 | 1884 | **8159** | 23250 | 21592 | 22741 | 17676 | **85259** |
| 7 | मनपुर | 879 | 943 | 945 | 834 | **3601** | 11172 | 10981 | 11032 | 9588 | **42773** | 9181 | 8997 | 8985 | 7106 | **34269** |
| 8 | मोहला | 661 | 673 | 657 | 592 | **2583** | 10304 | 10624 | 10455 | 9851 | **41234** | 8017 | 7317 | 6954 | 6370 | **28658** |
| 9 | राजनांदगॉव | 2795 | 2857 | 2899 | 2094 | **10645** | 1941 | 1941 | 1964 | 1426 | **7272** | 37501 | 34123 | 34493 | 24229 | **130346** |
| | **योग** | 16857 | 17791 | 17967 | 14897 | **67512** | 57457 | 60331 | 60382 | 52840 | **231010** | 226319 | 208221 | 209162 | 162856 | **806558** |

स्त्रोतः जिलापंचायत

**मनरेगा विभाग**

राजनांदगॉव जिले में 2013 से 2016 तक जारी किये गये आकड़ो में अनुसुचित जाति , अनुसुचित जन–जाति एवं अन्य को जारी किये गये जाब कार्ड का विवरण है

**कुल जाब कार्ड की स्थिति प्रतिशत में**

| विवरण | अनुसुचित जाति | अनुसुचित जन–जाति | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| राजनांदगॉव के 9 विकास | **67512 (6.10)** | **231010 (21%)** | **806558 (72.98%)** | **1105080 (100%)** |
| खण्डो में जाब कार्ड | | | | |
| का कुल योग 2013 से | | | | |
| 2016 तक | | | | |

राजनांदगॉव जिले के 9 विकासखण्डो मे 2013 से 2016 तक कुल 1105080 जाब कार्ड जारी किये जा चुके है। जिसका 6.10 प्रतिशत भाग अनुसुचित जाति, 21 प्रतिशत अनुसुचित जन–जाति तथा 72.98 प्रतिशत अन्य को जारी किया गया है। यह आकड़े यह प्रदर्शित करते है कि अन्य के मुकाबले अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जन–जाति मे जाब कार्ड के आवेदन ग्रामीण कम है परंतु इस बात को भी नाकारा नही जा सकता है कि जिले के केवल कुछ ही विकासखण्डो में अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जन–जाति की जनसंख्या अधिक है।

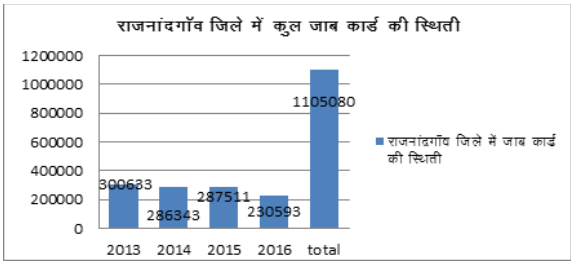


इस प्रकार जिले में 2013 में 300633 जाब कार्ड जारी किए गये जिसमें से 16857 अ.जा., 57457 अ.ज.जा. तथा 226319 अन्य है। 2014 में यह आकड़े 2013 से कम पाये गये जिसमें कुल 286343 जाब कार्ड जारी किए गये 17791 अ.जा., 60331 अ.ज.जा. तथा 208221 अन्य है। 2015 में यह संख्या धटती दर से बढ़े दिखाई देते है जहॉ 287511 जाब कार्ड में से 17967 अ. जा., 60382 अ.ज.जा. तथा 209162 अन्य रहे। 2016 में स्थिति पिछले वर्षो कि तुलना में कम पाई गई जहॉ 230593 कुल जाब कार्ड में 14897 अ.जा., 52840 अ.ज.जा. तथा 162856 अन्य रही।

**राजनांदगॉव जिले के विकासखण्ड़ो में परिवार की स्थिती रोजगार के संबंध में**

राजनांदगॉव गॉव जिले में कुल जाब कार्ड जारी होने के पश्चात् कितने व्यक्तियों ने रोजगार की मांग की तथा मांगे गये व्यक्तियो में से कितने को रोजगार उपलब्ध कराये गये यह आकलन इस सारणी मे किया गया है चुकि जरूरी नही की जितने व्यक्तियों का जाब कार्ड जारी किया गया उतने शत प्रतिशत रोजगार की मांग करे ।

**सारणी कमांक.1.2 राजनांदगॉव जिले के विकासखण्ड़ो में परिवार की स्थिती रोजगार के संबंध में**

| कमांक | विकासखण्ड | वर्ष 2013 | | | वर्ष 2014 | | | वर्ष 2015 | | | वर्ष 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मॉग | उपलब्धता | प्रतिशत | मॉग | उपलब्धता | प्रतिशत | मॉग | उपलब्धता | प्रतिशत | मॉग | उपलब्धता | प्रतिशत |
| 1 | अम्बागढ चौकी | 19067 | 18045 | 94.64 | 14704 | 14264 | 97.01 | 18852 | 18242 | 96.76 | 17850 | 17011 | 95.3 |
| 2 | खैरागढ | 31011 | 28777 | 92.796 | 25849 | 24295 | 93.99 | 30781 | 28904 | 93.9 | 27582 | 25402 | 92.096 |
| 3 | छुईखदान | 34338 | 31238 | 90.972 | 23097 | 21987 | 95.19 | 31927 | 30248 | 94.74 | 28963 | 27326 | 94.348 |
| 4 | छुरिया | 30224 | 28348 | 93.793 | 26428 | 24765 | 93.71 | 29853 | 28639 | 95.93 | 29229 | 27885 | 95.402 |
| 5 | डोगरगढ़ | 27833 | 25504 | 91.632 | 22765 | 20985 | 92.18 | 27835 | 25636 | 92.1 | 25901 | 23882 | 92.205 |
| 6 | डोगरगॉव | 18123 | 16087 | 88.766 | 14036 | 12631 | 89.99 | 19453 | 18267 | 93.9 | 15465 | 14200 | 91.82 |
| 7 | मनपुर | 16737 | 15837 | 94.623 | 12805 | 11690 | 91.29 | 16949 | 16047 | 94.68 | 16728 | 15803 | 94.47 |
| 8 | मोहला | 15324 | 13677 | 89.252 | 10542 | 9418 | 89.34 | 15948 | 15449 | 96.87 | 15583 | 14994 | 96.22 |
| 9 | राजनांदगॉव | 25808 | 22434 | 86.927 | 23078 | 20909 | 90.6 | 26754 | 23861 | 89.19 | 22800 | 20150 | 88.377 |
| | **योग** | **218465** | **199947** | **91.524** | **173304** | **160944** | **92.87** | **218352** | **205293** | **94.02** | **200101** | **186653** | **93.279** |

स्त्रोतः जिलापंचायत

**मनरेगा विभाग**

**प्रतिवर्ष के आधार पर परिवार की स्थिती रोजगार के संबंध में**

| वर्ष | रोजगार की मॉग | रोजगार की उपलब्धता | उपलब्धता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2013 | 218465 | 199947 | 91.52 |
| 2014 | 173304 | 160944 | 92.86 |
| 2015 | 218352 | 205293 | 94.01 |
| 2016 | 200101 | 186653 | 93.27 |
| **योग** | **810222** | **752837** | **92.91** |

मनरेगा के अंर्तगत ग्रम में उन ग्रामीणो द्वारा रोजगार की मांग की जाती है जिनको जाब कार्ड जारी किया गया है तथा मांग के आधार पर कार्य की उपलब्धता होती है उपयुक्त सारणी मे शोधकर्ता द्वारा 2013 से 2016 तक राजनांदगॉव जिले में विकासखण्डो के आधार पर कार्य की मांग और उसकी उपलब्धता का प्रतिशत के आधार पर आकलन किया गया है जिसमें यह पाया गया कि 2013 में मांग किये गये रोजगार पर 91.52 प्रतिशत व्यक्तियो को कार्य उपलब्ध कराया गया 2014 में यह आकडे 92.86 प्रतिशत है साथ ही साथ 2015 में 94.01 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य प्राप्त हुआ है जो विगत वर्षो में सबसे अधिक रहा, 2016 में यह आकड़े 93.27 प्रतिशत है। कुल विकासखण्डो में अम्बागढ चौकी, मानपुर, मोहला, मॉग और रोजगार की उपलब्धता में अन्य विकासखण्डो के आधार पर अधिक प्रभावी रहा है। यदि विगत 4 वर्षो का प्रतिशत देखा जाये तो कुल मांग 810222 में कार्य की उपलब्धता 752837 रही है जो 92.91 प्रतिशत है जिसे शोधकर्ता द्वारा ग्राफ की मदद से दर्शाया गया है

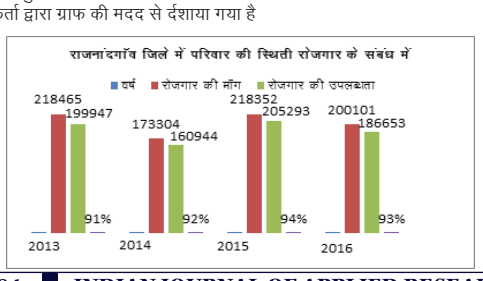


**8. मनरेगा की समस्याऍः–**

जहॉ एक ओर मनरेगा योजना के द्वारा अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्यों के द्वारा ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान कराया गया, वही दूसरी ओर यह पाया गया कि मनरेगा योजना के संचालन में कई समस्याएँ उत्पन्न हुई जिसके कारण इस योजना का सुगम संचालन करने में कठिनाइयॉ उत्पन्न हुई। ये समस्याएँ मनरेगा योजना के मार्ग मे विकास मे अनेक प्रकार से बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :–

**1. न्यूनतम दिवस का रोजगार उपलब्ध होना :–**

यद्यपि इस योजना के नियमानुसार ग्रामीण लोगों को एक वित्तीय वर्ष में केवल 100 दिनों का ही रोजगार प्रदान किया जाता हैं अतः ग्रामीण मजदूरों को वर्ष के शेष 265 दिन कृषि एवं अन्य व्यवसायों पर निर्भर रहना पड़ता हैं जिससे कि पर्याप्त आय मिलना संभव नहीं होता।

**2. 100 दिन से कम रोजगार :–**

इस योजना की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह हैं कि जहॉ ग्रामीण परिवारों कों एक वित्तीय वर्ष में केवल 100 दिनों का ही रोजगार प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं फिर भी कार्यों की संख्या कम होने के कारण उन्हें 100 दिनों का रोजगार भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता।

**3. कार्यों की संख्या कम होना :–**

इस योजना के तहत अधिसूचित कार्यों की आवश्यकता विभिन्न स्थानों में नहीं पायी जाती। इस कारण इसके कार्यों की संख्या में कमी आ जाती हैं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों के रोजगार एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ता हैं।

**4. औपचारिकताओं की अधिकता :–**

मनरेगा योजना की समस्याओं में इससे संबधित औपचारिकताएँ भी महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रायः यह देखा जाता हैं कि अन्य योजनाओं की भाँति इस योजना में भी कई औपचारिकताओं (जैसे पंजीकरण हेतु आवेदन, जॉब कार्ड का निर्माण, काम के लिए आवेदन, रोजगार का रिकार्ड एवं अन्य संबधित दस्तावेजों एवं रजिस्टरों को भरना) को पूरा करना पड़ता हैं। इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय, धन एवं श्रम का अधिक मात्रा में अपव्यय होता हैं जो कि मितव्ययी नहीं हैं।

**5. योजनाओं का कम प्रचार–प्रसार :–**
मनरेगा योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के उचित एवं सफल कियान्वयन हेतु आवश्यक है कि योजना की जानकारी प्रत्येक ग्रामीण को होनी चाहिए किंतु समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव के कारण इस योजना से संबधित सूचनाएँ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुँच पाती जो कि इस योजना की अहम् समस्या हैं।

**6. पर्याप्त कोष का अभाव :–**
मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों के कियान्वयन हेतु कार्य के अनुरूप निर्धारित राशि की आवश्यकता होती है, परन्तु पर्याप्त कोष अर्थात् पर्याप्त फण्ड की रकम उपलब्ध न होने के कारण कार्यो को योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करने मे समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण योजना मे कार्यरत कर्मचारियो वेतन भी समय पर नही मिल पाता और कार्य भी अपूर्ण रह जाते हैं।

**5. मनरेगा योजना को प्रभाव□ील बनाने हेतु सुझाव :–**
मनरेगा योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नाकिंत सुझावों को अपनाना आवश्यक हैं :–

**1. पर्याप्त पारिश्रामिक का भुगतान :–**
मनरेगा योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को चाहिए कि वे ग्रामीण मजदूरों को दी जाने वाली पारिश्रामिक की मात्रा पर्याप्त एवं उचित दर पर रखे ताकि उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके।

**2. समय पर भुगतान की व्यवस्था :–**
मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की विधि इस प्रकार होनी चाहिए कि सबंधित पक्ष को अपनी मजदूरी समय पर मिल जाये।

**3. निकटतम कार्यस्थल :–**
इस योजना में कार्य उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संबधित कार्य स्थल श्रमिको के निवास स्थान के निकट होना चाहिए।

**4. रोजगार के दिनों में वृद्धि :–**
इस अधिनियम के अनुसार एक गृहस्थी को एक वित्त वर्ष मे अधिकतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है किन्तु वास्तव में रोजगार के दिनो में वृद्धि की जानी चाहिए।

**5. रोजगार मांग में वृद्धि :–**
आकड़ो के विशलेषण से ज्ञात होता है कि जितने परिवारों का पंजीयन होता हैं उनमें से कम परिवारों एवं व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की जाती हैं। इससे संबधित कारणों का पता लगाकर उनका निराकरण करना चाहिए ताकि रोजगार की मांग में वृद्धि हो सके।

**6. पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना :–**
जिन परिवारों को 100 दिन का पूर्ण रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता, शासन को चाहिए कि वह उन परिवारों को नये कार्यस्थल निकटतम दूरी पर उपलब्ध कराकर उन्हें निर्धारित 100 दिनो का पूर्ण रोजगार प्रदान करें।

**7. पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था :–**
इस योजना को अधिक प्रभावशाली स्वरूप देने के लिए बेहतर स्तर पर प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल स्टाफ की व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी संख्या पर्याप्त अथवा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि समय पर कार्यों का चयन, योजनाओं का निर्माण, संचालन, रिकार्ड अभिलेखन एवं अन्य आवश्यक कार्यों में आवश्यकतानुसार सुधार किया जा सके। स्टाफ अच्छा एवं अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित हो सके, इसके लिए मौद्रिक एवं अमौद्रिक प्रेरणाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

**8. औपचारिकताओं में कमी :–**
इस योजना के कुशल संचालन के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस योजना से संबधित औपचारिकताओं को न्यूनतम कर देना चाहिए। इससे श्रम एवं समय दोनों की बचत होगी।

**9. योजना का प्रचार–प्रसार :–**
मनरेगा योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस योजना के तहत कहाँ–कहाँ, कौन–कौन से कार्य किए जा रहे हैं, इसका प्रचार–प्रसार करना चाहिए तथा इसकी सूचना सभी ग्रामीण तक पहुँचानी चाहिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

**10. स्टाफ में तालमेल :–**
ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, ब्लॉक स्तर के कार्यकम अधिकारी, जिला स्तर के जिला समन्वयक अधिकारी एवं राज्य के इस योजना के आयुक्त, तथा केन्द्रीय परिषद् की गतिविधियों में एकरूपता एवं सामंजस्य होना चाहिए ताकि योजना का निर्धारण, संचालन, परिवर्तन एवं पुनःक्रियान्वयन का कार्य तरीके से संपन्न किया जा सके। साथ ही स्टाफ द्वारा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

**11. जाँच एवं नियंत्रण :–**
कार्यों की अनियमितता एवं गड़बड़ी से बचने के लिए समय–समय पर कार्यों की जाँच करते रहना चाहिए और इस बात का निरीक्षण भी करना चाहिए कि जितने लोगों को मजदूरी दी जा रही हैं, वे कार्य कर रहे कि नहीं। इस योजना के अंतर्गत प्रयुक्त फण्ड की राशि का दुरूपयोग न हो, इसके लिए प्रभावी वित्त नियंत्रण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

**12. कृषि क्षेत्र में उपयोग :–**
देश की शासकीय भूमि जो बंजर पड़ी हैं उसमें खेती का कार्य भी यदि इस योजना की मदद से कराया जाए तो एक ओर लोगों को मजदूरी मिलेगी, भूमि उपजाऊ बनेगी और फसल बढ़ेगी तो दूसरी ओर किसानों को नयी तकनीक भी बतायी जा सकेगी।

**निष्कर्श :–**

| वर्ष | जारी जाब कार्ड | कार्य की मांग | कार्य की मांग का प्रतिशत | कार्य की उपलब्धता | उपलब्धता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 300633 | 218465 | 72.66833648 | 199947 | 91.52358501 |
| 2014 | 286343 | 173304 | 60.52321866 | 160944 | 92.86802382 |
| 2015 | 287511 | 218352 | 75.94561599 | 205293 | 94.01928995 |
| 2016 | 230593 | 200101 | 86.77670181 | 186653 | 93.27939391 |

उपयुक्त शोध में यह पाया गया है कि जारी किये गये जाब कार्ड की संख्या में, रोजगार की मॉग करने वालो की संख्या कम है तथा मॉग किये गये रोजगार में, रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत अधिक है जैसा कि विश्लेषण सारणी में आकड़ो के द्वारा दिखाया गया है। 2013 में जारी किये गये जाब कार्ड 300633 है जिसका केवल 72.66 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा कार्य की मॉग कि गई परंतु वही पर रोजगार की मॉग किये गये व्यक्तियों में से 91.52 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराया गया है यही आकड़ा निरंतर आगामी वर्षो का रहा। तात्पर्य यह है कि मनरेगा योजना मे कार्य की कमी नही है परंतु कार्य की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ रही है जैसा की सारणी में दर्शाया गया है।इस प्रकार मनरेगा एक रोजगारोन्मुखी योजना है जो ग्रामीणो को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है साथ ही साथ किये गये कार्यो से गॉव का विकास भी संभव बना है।

इस प्रकार मनरेगा योजना में कई ऐसे पहलू है जिनके आधार पर इसे ''जनता का कानून'' कहा जाता है जो **''जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।''** यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

**संदर्भ सूचीः–**

**भाोध ग्रंथ एवं पुस्तकें :–**
1. डॉ. मामोरिया एवं जनै – भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा, **1999**
2. डां. मिश्र जगनाथ – भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियॉ, विकास पब्लिकेशन हाउस,दिल्ली, **1998**
3. डां. ओ.एस. श्रीवास्तव – संवृद्वि एवं विकास का अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, **2005**
4. डां.पदमावती – ग्रामीण निर्धनता एवं निर्धनता कार्यकमों का मूल्यांकन, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, **2002**
5. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथ्डोलाजी, कालेज बुक डीपोट,जयपुर, **1998**
6. डॉ. संजय तिवारी – सामाजिक विज्ञान में शोध प्रविधी, साहित्य भवन,आगरा, **2000**
7. डॉ. वी.सी. सिन्हा – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा ,**2005**
8. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम **2005**
9. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम **2011**

**भाोध पत्र एवं पत्रिकाएँ :–**
10. ''तेन्दुलकर समिती की गरीबी पर रिर्पोट **2009**''
11. ''छत्तीसगढ जनसंख्यां रिपोर्ट **2011**''
12. ''दिशा एवं निर्देशन रिपोर्ट'' ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित **2010**
13. ''कुरूकक्षेत्र'' मासिक पत्रिका रोजगार स्थिती नवंबर **2012**
14. ''इंडिया टुडे'' भारत की योजना मनरेगा दिसंबर **2012**
15. ''योजना आयोग'' की गरीबी पर रिर्पोट **2010**